10/2/25 - पत्रावली पेश हुई। वादी - प्रतिवादी अधि० उप०
प्रकरण शासकीय आदेश में दिनांक 3/3/25
को पेश हो

3/3/25 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधि. अनु.। वादी एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 pm हो चुका है। न्यायालय में पुनः एक बार आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 92(क) तथा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

03/3/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मोहम्मद इसमाईल पुत्र रहीम बक्श अंसारी मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला, भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सोहनी देवी पत्नी गोपी लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवीस पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. प्रभु लाल पुत्र नन्दराम जी माली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राधेश्याम पुत्र पन्ना लाल माली उम्र वयस्क निवासी संजय कॉलोनी भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं वादी के हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में पंजीकृत विकयपत्र दिनांक 13.07. 2004 कम संख्या 3967 पर पंजीकृत मे से 01 बीघा 01 बिस्वा से अधिक को अवैध एवं शून्य घोषित कराने व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 289/2012 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री राकेश सुराणा अनुपस्थित – इस वाद में आज तारीख 03.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

3/3/2

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा